शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ –226 007

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद उ0प्र0।

पत्रांक–आर0टी0ई0/ 2110 / 2015–16 लखनऊ, दिनांक 28 जुलाई, 2015

विषय–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–12 (1) (ग) के अन्तर्गत आस–पास (Neighbourhood) के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यलायों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा–एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक प्रवेश दिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन के पत्रांक 2213/79–5–2015–29/09 टी0सी0–।। दिनांक 23 जुलाई, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (शासनादेश की छायाप्रति संलग्न)।

आपको निर्देशित किया जाता है कि संदर्भित शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकः– उक्तवत्।

भवदीया,

(शीतल वर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

D:\Pratibha\RTE 25%\Letter for covering for Go 2015-16.doc

दूरभाषः 2780995 **फैक्सः** 0522-2781123, 2780998 **ई–मेलः** *spdup@rediffmail.com; upefaspo@gmail.com* **वेब–साइटः** *www.upefa.com*

पृष्ठांकन सं0: आर0टी0ई0 / 2110 / 2015–16 लखनऊ, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उ0प्र0।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
3. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
5. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6. वित्त नियंत्रक, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
8. अपर परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
9. संयुक्त शिक्षा निदेशक, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
10. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ0प्र0।
11. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
12. जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद उ0प्र0।

(शीतल वर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

D:\Pratibha\RTE 25%\Letter for covering for Go 2015-16.doc

संख्याः 2213/79–5–2015–29/09टी.सी.–।।

प्रेषकः

एच0एल0 गुप्ता,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–शिक्षा निदेशक (बेसिक)
निशातगंज, लखनऊ/इलाहाबाद।
2–शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
लखनऊ/इलाहाबाद।
3–जिलाधिकारी
समस्त जनपद उ0प्र0।

शिक्षा अनुभाग–5 दिनांकः 23 जुलाई, 2015

विषयः **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–12 (1) (ग) के अन्तर्गत आस–पास (Neighbourhood) के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा–एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0–शि0नि0(बे0)/9176/2015–16, दिनांक 25–6–2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–12 (1) (ग) के अन्तर्गत आस–पास (Neighbourhood) के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा–एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा में कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक प्रवेश दिये जाने संबंधी शासनादेश संख्याः 3087(1)/79–5–2012–29/09टी.सी.–।। दिनांक 3–12–2012 के प्रस्तर–2 में उल्लिखित केवल दुर्बल वर्ग के बालक के अंतर्गत विनिर्दिष्ट बालकों के लिए निर्धारित वार्षिक आय का मानक अलाभित समूह के बालकों के लिए न लागू किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्याः 3087(1)/79–5–2012–29/09टी.सी.–।। दिनांक 3–12–2012 के प्रस्तर–2 में निम्न प्राविधान किया गया हैः–

''2– (i) उ0प्र0 शासन द्वारा अधिसूचना संख्या– 3087/ 79 –5–2012–29/09टी.सी. –।। दिनांक 30.11.2012 द्वारा ''अलाभित समूह का बालक और दुर्बल वर्ग के बालक को विनिर्दिष्ट करते हुए अधिसूचित कर दिया गया है'', जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

(i) उपर्युक्त अधिनियम 2009 के अन्तर्गत 'अलाभित समूह के बालक' की श्रेणी में निम्न को रखा गया हैः–

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त बच्चा
- एच0आई0वी0 अथवा कैंसर पीड़ित माता–पिता/अभिभावक का बच्चा, निराश्रित बेघर बच्चा।

(ii) दुर्बल वर्ग के बालक के अन्तर्गत निम्न को रखा गया हैः–

- जिसके माता–पिता या संरक्षक, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत गरीबी रेखा के नीचे के कार्डधारक हैं अथवा ग्राम्य विकास विभाग की सूची में सम्मिलित हैं।
- जिसके माता–पिता या संरक्षक विकलांगता / वृद्वावस्था / विधवा पेशन प्राप्तकर्ता हैं।
- जिसके माता–पिता या संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय रू0 1.00 लाख तक हो।

इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रू0 35000 / – तक की वार्षिक आय वाले माता–पिता / अभिभावकों के बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जायेगी। इसके उपरान्त प्रवेश हेतु सीटे शेष रहने पर आरोही कम में एक लाख रूपये तक वार्षिक आय वाले बच्चों को प्रवेश शेष सीटों के अन्तर्गत दिया जायेगा। स्पष्टतः प्रवेश का आधार वार्षिक आय रखा गया है। समस्त आवेदकों की सूची आरोही कम में तैयार की जायेगी और सीटों की संख्या के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।''

3. उल्लेखनीय है कि वार्षिक आय की सीमा ''दुर्बल वर्ग के बालक'' के माता–पिता / अभिभावकों के बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान किये जाने के संबंध में निर्धारित की गयी है।

4. शासनादेश संख्याः 3087(1) / 79–5–2012–29 / 09टी.सी.– ।। दिनांक 3–12–2012, शासनादेश संख्याः 4560 / 79–5–2014–29 / 09टी.सी.– ।। दिनांक 11–10–2014 एवं शासनादेश संख्याः 1102 / 79–5–15–29 / 2009टी.सी.– ।। दिनांक 09–06–2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
(एच0एल0गुप्ता)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– राज्य परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति समस्त को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2– समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक / जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
4– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक) समस्त मण्डल, उ0प्र0।
5– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
6– वित्त नियंत्रक, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0।
7– वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय समस्त जनपद, उ0प्र0।
8– वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद, उ0प्र0।
9– शिक्षा अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन / गार्डबुक।

आज्ञा से,
(अमृता सोनी)
विशेष सचिव।